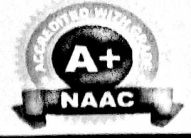




डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/565/2025 दिनांक : 09/12/2025

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

2. समस्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, डीन, प्रभारी
आवसीय इकाई।

विषय:- मा० उच्चतम न्यायालय में योजित वाद सिविल अपील संख्या 1425/2025 अमित कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24 मार्च, 2025 के अनुपालन में गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स हेतु आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

शासन के पत्र संख्या 2791/सत्तर-3-2023-70/3005/001-2-2025, दिनांक 27.10.2025 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या 2939/सत्तर-3-2025-70/3005/001-2-2025, दिनांक 28.11.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स को प्रेषित किए जाने हेतु प्रांत के समस्त शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएं एकत्रित की जानी हैं। शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान <https://ntf.education.gov.in> पर (A.I.S.H.E. पोर्टल) पर उपलब्ध सर्वेक्षण प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरते हुए उच्च शिक्षा अनुभाग को अद्यतन सूचनाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएं।

अतः आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के अध्यापकों/छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों द्वारा सर्वेक्षण 02 दिवस में प्रत्येक दशा में पूरित कराया जाये एवं उसकी सूचना विश्वविद्यालय के गूगल फॉर्म <https://forms.gle/pwUJC8HrbgdfhXSA> पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

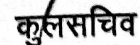
क्रम सं.	एन.टी.एफ. सर्वे करने वाले छात्रों की संख्या	एन.टी.एफ. सर्वे करने वाले अध्यापकों की संख्या	एन.टी.एफ. सर्वे करने वाले अभिभावकों की संख्या	कुल संख्या

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रभारी कुलपति-सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रवेश समन्वयक (प्रो० मनु प्रताप सिंह) को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संकाय एवं महाविद्यालयों को अपने स्तर से भी सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध पूर्ण कराते हुए प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।
3. उप-कुलसचिव, आवसीय इकाई को इस आशय से प्रेषित कि समस्त समस्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, डीन, प्रभारी से समन्वय स्थापित करते हुये 02 दिवस में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. ऐजेन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।


कुलसचिव